

प्रेषक

मनोज कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
विकलांग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी 2013

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा नियमावली-1998 में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-1726/65-2-98-185/97 दिनांक 18-02-1998 द्वारा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 1998 जारी की गयी थी। सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियमावली में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली के नियम-3क, नियम-8 एवं नियम-15 में तथा शासनादेश संख्या-227/65-2-2008-185/97 दिनांक 22-4-2008 के प्रस्तर-3 में निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p><b>नियम-3(क)</b> उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी श्रेणी की बसों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर गन्तव्य स्थानों तक वायुशीत, शयनयान, वातानुकूलित, तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा अनुमन्य होगी।</p> <p><b>नियम-8-</b> यात्रा के समय विकलांग के साथ उसके सहयोगी को (नियम 7 के क, ग, घ, च को छोड़कर) यात्रा के सम्बन्ध में कोई सुविधा देय नहीं होगी। नियम-7 के क, ग, घ, च में उल्लिखित विकलांग के सहयोगी को विकलांग की ही तरह निःशुल्क यात्रा उपलब्ध होगी।</p> <p><b>नियम-15-</b> विकलांग द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम की बस का कण्डक्टर विकलांग को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता</p>	<p><b>नियम-3(क)</b> बसों से ऐसी साधारण बसे अभीप्रीत होगी जो निगम द्वारा उसके अधीन उ०प्र० के विभिन्न मार्गों पर चलायी जाती हो। यह सुविधा वायुशीत, शयनयान, वातानुकूलित, तथा वीडियोयुक्त बसों पर लागू नहीं होगी।</p> <p><b>नियम-8</b> मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये विकलांगता प्रमाण-पत्र में यदि कोई विकलांग गम्भीर विकलांगता से ग्रसित है अर्थात् यदि वह 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से एक या अधिक विकलांगता में ग्रसित है तो उस विकलांग के एक सहयोगी को विकलांग की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p><b>नियम-15</b> विकलांग द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम की बस का कण्डक्टर, विकलांग का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र</p>



प्रमाण-पत्र देखने के पश्चात सम्बन्धित विकलांग को गंतव्य स्थान तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस यात्रा का लेखा-जोखा यथासमय परिवहन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।


**शासनादेश दिनांक 22-4-2008 का प्रस्तर-3-**

उर्पयुक्त सुविधा मूल नियमावली के नियम-7(2) में उल्लिखित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को ही देय होगी, जिसका अंकन निगम के प्रत्येक बस में किया जायेगा।

देखने के पश्चात गंतव्य स्थान तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस यात्रा का लेखा जोखा यथासमय परिवहन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उक्त निःशुल्क यात्रा के लिए विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र पर पंजीकरण संख्या,हस्ताक्षर व मोहर का अंकन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

**प्रस्तर-3** निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 की धारा-2 में परिभाषित विकलांगता की श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणी में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र धारी निःशक्त (विकलांग) व्यक्ति पात्र होगा।

भवदीय


  
(मनोज कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2033 / 65-2-2012-185 / 97-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त संशोधन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(अनिल कुमार सागर)  
विशेष सचिव।